

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

माधो शर्मा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11092

24 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता द्वारा संभागीय आयुक्त के समक्ष दायर अपील और जिला अनुकंपा समिति द्वारा याचिकाकर्ता की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज करने का निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—अनुकंपा नियुक्ति—अस्वीकृति/अस्वीकृति—याचिकाकर्ता के पिता की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई—इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था—जिला अनुकंपा समिति ने याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की तिथि से पाँच वर्ष बीत जाने के बाद पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए वह अपने पिता की मृत्यु के पाँच वर्षों के भीतर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।

निर्णय: अनुकंपा रोजगार योजना का उद्देश्य और लक्ष्य परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसका सामना परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के समय होता है, एक ऐसी स्थिति जो वर्तमान मामले में अब प्रचलित नहीं है—रिट याचिका खारिज। (कंडिका 2, 5 और 7)

न्याय दृष्टान्त

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1994) 4 एससीसी 138; गुजरात राज्य बनाम चित्राबेन, (2015) 14 एससीसी 574—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति; सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर; अनुकंपा रोजगार की योजना का लक्ष्य और उद्देश्य परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाना है; जिसका सामना एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय करना पड़ता है।

प्रकरण से उत्पन्न

अनुकंपा नियुक्ति पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए संभागीय आयुक्त से अस्वीकृति आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ ओं की ओर से:- श्री राम प्रवेश कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/ प्रतिवादियों की ओर से: - श्री राघवानंद, जीए-11; श्री रजनीश शांडिल्य, एसी टू जीए-11।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11092

=====

माधो शर्मा, पिता-स्वर्गीय फुलो शर्मा, निवासी गाँव-पारस मणि, थाना-सराय, जिला-पूर्णिया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संभागीय आयुक्त, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया।
3. जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया।
4. पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया।
5. अपर समाहर्ता, पूर्णिया।
6. जिला स्थापना उप-समाहर्ता, पूर्णिया।
7. अनुमंडल अधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया।
8. जिला चौकीदार अधिकारी, पूर्णिया।
9. प्रभारी अधिकारी, चौकीदार बनमनखी अनुमंडल, पूर्णिया
10. प्रभारी अधिकारी, सरसुई थाना, जिला-पूर्णिया।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:-

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री राम प्रवेश कुमार,अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री राघवानंद, जी. ए.-11

श्री रजनीश शांडिल्य, एसी से जीए-11

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख: 24-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका जिला दण्डाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए जिला अनुकंपा समिति के निर्णय को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जैसा कि ज्ञापन दिनांक 15.07.2011 में निहित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है, और 2012 की विविध अपील सं.14 में संभागीय आयुक्त, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया द्वारा पारित दिनांक 10.07.2013 के आदेश को रद्द करने के लिए भी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु सरसी पुलिस स्टेशन में चौकीदार के रूप में तैनात रहते हुए काम के दौरान हुई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 22.11.2002 को आवेदन दायर किया था, जिसे अनुमंडल अधिकारी, बनमनखी द्वारा जिला चौकीदार अधिकारी, पूर्णिया को दिनांक 22.11.2002 को पत्र के माध्यम से भेजा गया था, हालांकि, जिला अनुकंपा समिति ने दिनांक 29.09.2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु की तारीख से पांच साल के अंतराल के बाद पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए वह पिता की मृत्यु की पांच साल के भीतर नियुक्त होने के योग्य नहीं था। जिला अनुकंपा समिति का उक्त निर्णय ज्ञापन दिनांक 15.07.2011 में निहित है। याचिकाकर्ता ने तब संभागीय आयुक्त, पूर्णिया प्रभाग के समक्ष एक अपील दायर किया, हालांकि, इसे भी दिनांक 10.07.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 8 वीं पास होने का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन जांच सूची में इसे गलत तरीके से 6 वीं पास के रूप में उल्लेख किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के पास शैक्षिक योग्यता है, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने और आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा मृतक की मृत्यु की तारीख से पांच साल है, इसलिए याचिकाकर्ता को अपने पिता की मृत्यु के पांच साल की अवधि के भीतर आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए वे अनुकंपा के आधार पर चौकीदार के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पांच साल के अंतराल के बाद पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उनका मामला अस्वीकार कर दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि अब याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के लगभग 21 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए इस समय याचिकाकर्ता को अनुकंपा रोजगार देना उचित नहीं होगा।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख के सामग्री का अवलोकन किया। इस न्यायालय ने पाया कि यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के किसी भी मामले पर लंबी देरी के बाद विचार किया जाता है, तो न केवल मौजूदा रिक्तियों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है, बल्कि इसी तरह के अन्य मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां आश्रितों को रोजगार प्रदान करके तत्काल राहत प्रदान की जा सकती है। विचार के लिए यह वह समय है जब संकट में एक परिवार को राहत दी जानी है न कि आश्रितों में से एक के लिए नौकरी आरक्षित करने के लिए। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1994) 4 एस. सी. सी. 138** का मामला,

में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। कंडिका सं. 6 जिसका पुनः प्रस्तुति नीचे किया गया है:-

“6. इन्हीं कारणों से, नियमों में यह निर्दिष्ट हो की एक उचित अवधि के बाद अनुकंपा रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के रोजगार के लिए विचार एक निहित अधिकार नहीं है जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी समय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, अनुकंपा से रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है और संकट समाप्त होने के बाद जो भी समय बीत जाए उसे पेश किया जा सकता है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक और निर्णय **गुजरात राज्य बनाम चित्राबेन का मामला, (2015) 14 एस. सी. सी. 574**, का उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा। कंडिका सं. 9. जिसका पुनः प्रस्तुति नीचे किया गया है:-

“9. यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रत्यर्थी के पास केवल चौथी कक्षा की योग्यता है, और उसके पास “माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र” परीक्षा की योग्यता नहीं है, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 16-3-2005 के नियम 3 (ii) में अभिनिर्धारित किया गया है। इसलिए हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि प्रतिवादी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था, जब उसके पति की मृत्यु 13-6-2006 पर हो गई थी। जब प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 17-7-2006 को आवेदन किया, तो उसके लिए दिनांकित 16-3-2005 अधिसूचना

में निर्धारित योग्यता को पूरा करना आवश्यक था। चूंकि, स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त योग्यता को पूरा नहीं किया था, इसलिए वह दिनांकित 10.3.2000 प्रस्ताव के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं थी।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अनुकंपा रोजगार की योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार को तत्काल वित्तीय संकट, पर काबू पाने में सक्षम बनाना है। जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, ऐसी स्थिति जो वर्तमान मामले में प्रचलित नहीं है, इस समय, इस न्यायालय को वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।